BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 837/2024

Vinesh Devi & Others … Applicants

Versus

State of Uttar Pradesh & Others … Respondents

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE REPORT REGARDING ORDER DATED 15.10.2024 IN OA NO. 837/2024 (VINESH DEVI AND OTHERS VS. GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH AND OTHERS)	1 - 8
2.	A true copy of the revenue records is annexed here as ANNEXURE - 1.	9 - 11
3.	A true copy of the records is annexed here as ANNEXURE - 2.	12 - 13
4.	A true copy of the photographs is annexed here as ANNEXURE - 3	14
5.	A true copy of the letter dated 11.12.2023 is annexed here as ANNEXURE - 4 & 5	15 - 18

6.	A true copy of the letter dated 30.09.2023, along with a photocopy of the consent affidavit, is attached herewith as Annexure 6.	19 - 21
7.	A photograph of the site is attached herewith as Annexure-07.	22 - 27

THROUGH

PRIYANKA SWAMI
Advocate
Counsel for the STATE OF U.P.
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,
New Delhi- 110014

Date: 09.11.2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 837/2024

Vinesh Devi & Others … Applicants

Versus

State of Uttar Pradesh & Others … Respondents

COMPLIANCE REPORT REGARDING ORDER DATED 15.10.2024 IN OA NO. 837/2024 (VINESH DEVI AND OTHERS VS. GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH AND OTHERS)

In compliance with the order dated 15.10.2024 passed in OA No. 837/2024, titled *Vinesh Devi and others vs. Government of Uttar Pradesh and others*, the committee constituted by the office of the District Magistrate, Aligarh (Letter No. 1926/NGT dated 30.10.2024) conducted a joint investigation and field inspection of the disputed land and hereby submits the following factual report:

1. That it is respectfully submitted that in compliance with the above directives, it is hereby submitted that upon conducting an on-site inspection and reviewing archival records, the following details have been verified that the land located in Village Kukarikheda, also known as Aurangabad, with Gata numbers 97, 98, 207, 210, 211, 212, 213, and 214, collectively comprising eight Gata and a total area of 4.689 hectares, is

recorded in the revenue Khatauni for crop years 1429-1434. The said land falls under Category-1 and is registered in the name of Tikaram Charitable Family Trust, represented by transferable landholders from Aligarh, and Ahtamam Ramswaroop Gupta, son of Lala Tikaram, also from Aligarh.

Additionally, land in Village Dhanipur, bearing Gata number 298 M, with a total area of 2.929 hectares, is recorded in the current revenue records for crop years 1430-1435. This land is classified under Category-1(a) and is registered to Tikaram Charitable Trust, managed by Dr Mrs Vijay Gupta / Vedprakash Gupta, near Tikaram Temple, Aligarh. A true copy of the revenue records is annexed here as ANNEXURE - 1.

2. That it is pertinent to mention here that, with regard to the disputed land situated in Village Kukarikheda, also referred to as Aurangabad, the revenue records (Khasra) for Gata numbers 210, 211, 212, 213, 214, and Gata number 298M of Village Dhanipur indicate these areas as submerged land or pond land over recent years. According to the Khasra revenue records for the crop year 1427, the area in Gata No. 212 of Village Kukarikheda alias Aurangabad is recorded as 0.530 hectares, Gata No. 213 as 0.51980 hectares, and Gata No. 214 as 0.496 hectares. Additionally, in Village Dhanipur, Gata No. 298 has a recorded area of 2.929 hectares. Therefore, the total area of 4.474 hectares is classified as submerged land/pond in the revenue records (Khasra). A true copy of the records is annexed here as ANNEXURE - 2.

3. That it is hereby informed that, in accordance with Para 60(1) of the Uttar Pradesh Land Records Rules, the *Khasra* serves as a regional ledger where the Revenue Lekhpal records all changes to land boundaries and other necessary information for the preparation of the *Khatauni* or agricultural data. The names of

farmers and the *Kharif* crops are noted during the initial inspection, while entries for *Rabi* and *Zaid* crops are documented during the second and third inspections, respectively. Furthermore, as per Para A-121 of the Uttar Pradesh Land Records Rules, and under Section 32 of the Land Revenue Act, as amended by the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, the *Khatauni* is established as a register identifying individuals who cultivate or possess land within a village.

4. That it is pertinent to mention here that among the disputed lands, Gata numbers 210, 211, 212, 213, and 214 of Village Kukarikheda, also known as Aurangabad, along with Gata number 298M of Village Dhanipur, have been recorded in the revenue records (*Khasra*) as submerged or pond land for the past several years. A Google Satellite Image dated 04.10.2023 further corroborates that this land has consistently remained in a submerged or puddled state in recent and previous years. A true copy of the photographs is annexed here as ANNEXURE - 3

5. That it is in this regard, it is submitted that, by letter dated 12-10-2024, filed in the Honorable Tribunal Court, it was submitted that the Commissioner of Aligarh Division, after receiving information from various sources that construction work was being conducted covertly at the disputed site, enclosed by tin sheets, through Letter No-162/PA dated 11 Dec.2023, directed the District Magistrate of Aligarh to halt all construction activities at the site and to ensure the immediate removal of the tin enclosure. This action resulted in the cessation of construction work at the location.

Subsequently, Tikaram Charitable Trust filed Writ Petition No. 44949/2023, **Tikaram Charitable Trust vs. State of U.P. & Others**, before the Hon'ble High

Court of Allahabad, challenging the Commissioner's order. On 29.02.2024, the Hon'ble High Court issued an order concerning the matter.

"7. Merely because a plot is covered by water, the same cannot become a pond. All proceedings that have been drawn at the various levels for restoration of ponds primarily find support from the judgement of the Apex Court in Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala Devi and others; reported in (2001) 6 SCC 496, wherein the Apex Court expressed its view that water bodies existing in 1356F were required to be restored to their original status for ecological reasons. The ratio in Hinch Lal Tiwari (supra) does not apply to the instant case because in the revenue record of 1356F, as is admitted by the learned Standing Counsel, there is no entry of a pond. The first entry of the land being found covered by water is in the Khasra of 1417 Fasli. 8. Under the circumstances and since the aforesaid plots in issue are not a pond, the direction that have been issued by the letter impugned are, unsustainable. For the same reason, we consider it appropriate to allow this writ petition and to quash the letter dated 11.12.2023, passed by the Commissioner, Aligarh Division Aligarh."

It is respectfully submitted that the Commissioner's letter dated 11.12.2023 was quashed by the order of the Hon'ble High Court In light of the Hon'ble Court's order, no further action can be taken concerning the disputed land. A true copy of the letter dated 11.12.2023 is annexed here as ANNEXURE - 4 & 5

6. That it is respectfully submitted that an on-site inspection was carried out by a joint team formed to examine the land in question. During the inspection, it was observed that a concrete drain had been constructed along three sides of the disputed land, with residential areas found adjacent

to the site. The drain is connected to the canal drain located alongside Etah Chungi Kamalpur Bypass Road. Additionally, residential houses and shops were identified along Etah Chungi Kamalpur Bypass Road, near this drain/canal. A sump well was also observed, and installed for water disposal.

7. That it is pertinent to mention here that according to information provided by the Chief Engineer of the Municipal Corporation, approximately 700 meters of concrete drain and a sump well were constructed by the Trust along three sides of the Trust's land, which has since been handed over to the Municipal Corporation, Aligarh.

8. That it is hereby informed that the Municipal Corporation has granted consent regarding the expenses incurred for the resolution of the waterlogging issue through the construction of a drain and sump well on the land in question. This consent was communicated through a letter sent on 30.09.2023 by Mr Hari Prakash Gupta, Manager of Tikaram Charitable Trust, located at Kothi Tikaram Mandir Marg, Aligarh. A true copy of the letter dated 30.09.2023, along with a photocopy of the consent affidavit, is attached herewith as Annexure 6.

9. That it is pertinent to mention here that a structure of approximately 20 square meters was observed on-site, intended to house the motor and other equipment related to the sump well. Installation of doors, windows, and other fittings was underway within this room, while the remaining land was found vacant. During the inspection, it was also observed that the land in question is low-lying. Currently, no waterlogging is present on the said land, and no additional new construction activities were found. A photograph of the site is attached herewith as Annexure-07.

10. It is humbly prayed that the answering respondent expresses his full commitment to complying with the directions issued by this Hon'ble tribunal and ensures his cooperation in compliance with any further directions.

Through

PRIYANKA SWAMI

Advocate

Counsel for The State of U.P.

F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension, New Delhi - 110014

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 837/2024

Vinesh Devi & Others ... Applicants

Versus

State of Uttar Pradesh & Others ... Respondents

AFFIDAVIT

Affidavit of Sh. VISHAK GANAPATHY IYER aged about 37 years s/o S.V. GANAPATHY IYER presently poster as DISTRICT MAGISTRATE, ALIGARH, having an office at ......ALIGARH..

NOTARY R.P. DIXIT NOTARY (Advocate) Tehsil Koil, ALIGARH Regd. No. 1502 GOVT. OF INDIA

NOTARIAL

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying reply has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying reply are true and correct, the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

3342
08.11.24

R. P. Dixit 8/11/2024

R.P. DIXIT
NOTARY (Advocate)
Tehsil Koil, ALIGARH

DEPONENT

VERIFICATION:-

Verified at Aligarh on this day of 8-11-2024 that the contents of the above Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and based on the official records of the Respondent. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
R.P. DIXIT
NOTARY (Advocate)
Tehsil Koil, ALIGARH
Regd. No.1502
GOVT. OF INDIA

Solemnly Affirmed Before me
By......
Identified By......
Who having been heard the contents
Hereon Admitted the same to be
correct

R.P.D. 8/11/2024

Ram Prakash Dixit (Advocate)
NOTARY Tehsil Koil (ALIGARH)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–837/2024 विनेश देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2024 के सम्बन्ध में आख्या।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0 837/2024 विनेश देवी व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.10.2024 के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी अलीगढ पत्र सं0 1926/एन0जी0टी0 दिनांक 30.10.2024 द्वारा गठित समिति की संयुक्त जॉच व पुनः तथ्यात्मक आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में प्रकरण के सम्बन्ध में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा स्थलीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय परीक्षण किया गया तो तथ्य संज्ञान में आये किः–

1– ग्राम कुकड़ीखेड़ा उर्फ औरंगाबाद में स्थित भूमि गाटा संख्या 97, 98, 207, 210, 211, 212, 213 एवं 214 (08 गाटे, कुल क्षेत्रफल 4.689 है0) राजस्व अभिलेख खतौनी में वर्तमान फसली वर्ष 1429–1434 में श्रेणी–1(क) संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार क्षेत्र में टीकाराम चैरीटेबिल फैमिली ट्रस्ट अलीगढ व अहतमाम रामस्वरूप गुप्ता पुत्र लाला टीकाराम नि0 अलीगढ के नाम अंकित है एवं ग्राम धनीपुर में गाटा संख्या 298मि0 (कुल क्षेत्रफल 2.929 है0) राजस्व अभिलेखों में वर्तमान फसली वर्ष 1430–1435 में श्रेणी–1(क) संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार क्षेत्र में टीकाराम चैरीटेबिल ट्रस्ट मैनेजर डॉ0 श्रीमती विजय गुप्ता/वेदप्रकाश गुप्ता नि0 टीकाराम मन्दिर मार्ग,अलीगढ के नाम अंकित है (संलग्नक–01)। विवादित प्रश्नगत भूमि में से ग्राम कुकड़ीखेड़ा उर्फ औरंगाबाद के गाटा संख्या 210, 211, 212, 213 एवं 214 तथा ग्राम धनीपुर का गाटा संख्या 298मि0 राजस्व अभिलेख (खसरे) में विगत वर्षो से जलमग्न भूमि/पोखर के रूप में दर्ज है। राजस्व अभिलेख खसरा फसली वर्ष 1427 के अनुसार ग्राम कुकडीखेडा उर्फ औरंगाबाद के गाटा सं0 212 में रकबा 0.530हे0, 213 में रकबा 0.519हे0, 214 में 0.496हे0 तथा ग्राम धनीपुर गाटा सं0 298 में हे0 कुल सम्मिलित रकबा 2.929हे0 इस प्रकार कुल रकबा 4.474हे0 जलमग्न/पोखर के रूप में दर्ज है।(संलग्नक–02)

क0 सं0	राजस्व ग्राम	गाटा संख्या	रकवा/ क्षेत्रफल (है0)	खातेदार का नाम	खसरा प्रविष्टि फसली वर्ष 1427	रकवा/ क्षेत्रफल (है0)	विशेष विवरण
1	कुकड़ीखेड़ा उर्फ औरंगाबाद	210	0.8980	टीकाराम चैरिटेबिल फैमिली ट्रस्ट अलीगढ़ व अहतमाम राम स्वरूप गुप्ता लाला टीकाराम नि0 अलीगढ़।	आबादी	0.898	वर्तमान में प्रश्नगत भूमि लो–लैण्ड के स्वरूप में है, किन्तु किसी प्रकार का पानी का भराव नहीं है। मौके पर लगभग 20 वर्गमीटर का निर्मित कमरा पाया गया तथा शेष भूमि मौके पर खाली है। साथ ही कोई नया निर्माण कार्य होना नहीं पाया गया।
		211	0.8180		आबादी	0.818	
		212	0.5300		पोखर	0.530	
		213	0.5190		पोखर	0.519	
		214	0.4960		पोखर	0.496	
2	धनीपुर	298 मि0	0.7600	टीकाराम चैरिटेबिल फैमिली ट्रस्ट/ मैनेजर डा0 श्रीमती विजय गुप्ता/ वेदप्रकाश गुप्ता/ विजय निकुंज टीकाराम मंदिर मार्ग, अलीगढ़।	पोखर	2.929	
		298 मि0	2.1690				
	कुल योग		6.190		आबादी पोखर	1.716 4.474	

2– अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश भू–लेख नियमावली के पैरा–60(1) के अनुसार "खसरा एक क्षेत्रीय पुस्तक है, जिसमें लेखपाल समय–समय पर सीमाओं के सब परिवर्तनों और सब बातों को, जिनकी आवश्यकता खतौनी या कृषीय ऑकडे तैयार करने के लिए होती है, उल्लेख करेगा। काश्तकारों के नाम और खरीफ की फसलों के सम्बन्ध में इन्दराज पहले दौरे के समय किए जायेंगे। रबी और जायद फसलों के सम्बन्ध में प्रविष्टियॉ क्रमशः दूसरे और तीसरे दौरे के समय की जायेगी।" इसी प्रकारउत्तर प्रदेश भू–लेख नियमावली के पैरा क–121 के अनुसार "खतौनी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 32 के अनुसार, जैसा कि उसका संशोधन उ0प्र0 जमींदारी विराश और भूमि व्यवस्था अधिनियम,1950 द्वारा हुआ है, उन व्यक्तियों की एक पंजी है, जो किसी ग्राम की भूमि पर खेती करते हों, या अन्य प्रकार से काबिज हों"(संलग्नक–03)।

3— उक्त विवादित प्रश्नगत भूमि में से ग्राम कुकड़ीखेड़ा उर्फ औरंगाबाद के गाटा संख्या 210, 211, 212, 213 एवं 214 तथा ग्राम धनीपुर का गाटा संख्या 298मि0 राजस्व अभिलेख **(खसरे)** में विगत वर्षों से जलमग्न भूमि/पोखर के रूप में दर्ज है व प्राप्त गुगल सेटैलाइट इमेज दिनांक 04.10.2023 तथा इससे पूर्व भी वर्षो में प्रश्नगत भूमि जलमग्न/पोखर के रूप में रही है। इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में पत्र दिनांक 12.10.2024 द्वारा दाखिल अनुदेश में इस तथ्य का उल्लेख किया जा चुका है। आयुक्त महोदय, अलीगढ मण्डल, अलीगढपत्र संख्या 162/पी0ए0 दिनांक 11 दिसम्बर 2023 द्वारा स्थल पर टिन से घेरकर अन्दर चोरी छुपे कार्य कराये जाने की विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त होने के पर जिलाधिकारी अलीगढ को स्थल पर तत्काल कार्य रूकवाये जाने एवं स्थल पर लगाये गये टिन का हटवाने जाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके कम में मौके पर किया जा रहा निर्माण कार्य रूकवा दिया गया था। आयुक्त महोदय आदेश के विरूद्ध टीकाराम चेरीटेबिल ट्रस्ट द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में एक रिट याचिका 44949/2023 टीकाराम चेरीटेबल ट्रस्ट बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2024 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांक 29.02.2024 में उल्लेख करते हुए कि—

"7. Merely because a plot is covered by water, the same cannot become a pond. All proceedings that have been drawn at the various levels for restoration of ponds primarily find support from the judgement of the Apex Court in Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala Devi and others; reported in (2001) 6 SCC 496, wherein the Apex Court expressed its view that water bodies existing in 1356F were required to be restored to their original status for ecological reasons. The ratio in Hinch Lal Tiwari (supra) does not apply to the instant case because in the revenue record of 1356F, as is admitted by the learned Standing Counsel, there is no entry of a pond. The first entry of the land being found covered by water is in the Khasra of 1417 Fasli.

8. Under the circumstances and since the aforesaid plots in issue are not a pond, the direction that have been issued by the letter impugned are, unsustainable. For the same reason, we consider it appropriate to allow this writ petition and to quash the letter dated 11.12.2023, passed by the Commissioner, Aligarh Division Aligarh."

आयुक्त महोदय का पत्र दिनांक 11.12.2023 खंडित कर दिया गया। मा0न्यायालय के उक्त आदेश के समादर में विवादित भूमि के सम्बन्ध में अन्य कोई कार्यवाही किया जाना सम्भव नही है।(संलग्नक—04 एवं 05)।

उक्त प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में गठित संयुक्त टीम द्वारा मौके का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय प्रश्नगत भूमि के तीन तरफ पक्का नाला निर्मित एवं आबादी उक्त विवादित भूमि से सटी हुई पायी गयी। उक्त नाला एटा चुंगी कमालपुर बाईपास रोड के किनारे केनाल/नाला से जुडा हुआ है। उक्त नाला/केनाल से सटे हुए एटा चुंगी कमालपुर बाईपास रोड तत्पश्चात् सटे हुए आवासीय मकान/ दुकान स्थित पाये गये। निरीक्षण के समय एक नग सम्पबेल पानी के निस्तारण हेतु स्थापित पाया गया। नगर निगम के मुख्य अभियंता के द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रस्ट की भूमि के तीन तरफ लगभग 700 मीटर पक्का नाला एवं सम्पवेल का निर्माण ट्रस्ट द्वारा कराया गया है, जिसको नगर निगम, अलीगढ़ को सुपुर्द कर दिया गया। अवगत कराना है कि प्रश्नगत भूमि पर नाला व सम्पवैल निर्माण से जलभराव की समस्या के निराकरण एवं निर्माण पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में सहमति दिये जाने हेतु नगर निगम द्वारा टीकाराम चेरीटेबिल ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक हरी प्रकाश गुप्ता पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता नि0 कोठी टीकाराम मंदिर मार्ग, अलीगढ के पत्र 30—09—2023 प्रेषित किया गया। प्रेषित पत्र दिनांक 30.09.2023 व सहमति शपथपत्र की छायाप्रति **(संलग्नक 6)** के रूप में संलग्न है। साथ ही सम्पवेल के मोटर एवं सम्पवेल से सम्बन्धित अन्य उपकरणों को रखने हेतु एक कमरा लगभग 20 वर्गमी0 का निर्मित पाया गया, जिसमें दरवाजा—खिडकी आदि की फिटिंग का कार्य किया जा रहा था तथा शेष भूमि मौके पर खाली पायी गयी। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त प्रश्नग0त भूमि को लो—लैण्ड के स्वरूप मे है। उक्त भूमि पर वर्तमान में किसी प्रकार का पानी का भराव नहीं है तथा अन्य किसी प्रकार का नया निर्माण कार्य होना नही पाया गया है। मौके के फोटोग्राफ संलग्न है(संलग्नक—07)।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, अलीगढ़।	सहायक पर्यावरण अभियंता (द्वितीय) उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।	उप जिलाधिकारी, तहसील—कोल, अलीगढ़।

संलग्नक सं० - 01

संलग्नक - 01

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2177922024029

ग्राम क्रमांक : 217792 ग्राम का नाम / परगना : कुकडी खेडा उर्फ औरंगावाद(कोल) तहसील : कोल जनपद : अलीगढ़
फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00023	टीकाराम चैरीटेबिल फैमिली / ०. / .	पू1360फ0	97	0.4950			
	ट्रस्ट अलीगढ़ व अहतमाम / ०. / .	पू1360फ0	98	0.1610			
	रामस्वरूप गुप्ता / लाला टीकाराम / नि0अलीगढ़	1364फ	207	0.7720			
		1364फ	210	0.8980			
		1364फ	211	0.8180			
		1364फ	214	0.4960			
		1375फ	212	0.5300			
		1375फ	213	0.5190			
			8	4.6890	₹ 114.35	0	0

कुल गाटे- आठ कुल क्षेत्रफल- चार दशमलव छः आठ नौ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक एक चार दशमलव तीन पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: SATISH CHANDRA

सक्षम अधिकारी: AMIT KUMAR GUPTA
तहसील: कोल जनपद: अलीगढ़
दिनांक एवं समय: 25-02-2024 12:37:18
0 यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

10

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 12271820240270

ग्राम क्रमांक : 122718 ग्राम का नाम / परगना : धनीपुर(कोल) तहसील : कोल जनपद : अलीगढ़ फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्वन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00067	टीकाराम चैरीटेबिलफैमिलीट्रस्ट / . / . द्वारा मेने0डा0श्रीमतीविजयगुप्ता / वेदप्रकाश गुप्ता / विजय निकुन्जटीकाराम मन्दिर मार्ग अलीगढ	1396फ0	298मि0	2.1690			
			1	2.1690	₹ 53.65	0	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- दो दशमलव एक छ: नौ शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - पाँच तीन दशमलव छ: पाँच रुपये

97

Data Digitally Signed by: RAJEEV KUMAR GUPTA

सक्षम अधिकारी: AMIT KUMAR GUPTA
तहसील: कोल जनपद: अलीगढ़
दिनांक एवं समय: 28-02-2024 09:43:33
0 यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

9

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 12271820240269

ग्राम क्रमांक : 122718 ग्राम का नाम / परगना : धनीपुर(कोल) तहसील : कोल जनपद : अलीगढ़ फसली वर्ष : 1430-1435 (01 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2028) भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले आधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।							
00066	टीकाराम चेरीटेबिल ट्रस्ट / . / . मैनेजर डा0श्रीमती विजय गुप्ता / वेदप्रकाश गुप्ता / विजय निकुन्जटीकाराम मन्दिर मार्ग अलीगढ	1379फ0	298मि0	0.7600			
			1	0.7600	₹ 18.80	0	0

98

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव सात छ: शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक आठ दशमलव आठ शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAJEEV KUMAR GUPTA

सक्षम अधिकारी: AMIT KUMAR GUPTA
तहसील: कोल जनपद: अलीगढ़
दिनांक एवं समय: 28-02-2024 09:41:14

❶ यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http //upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

28-02-20

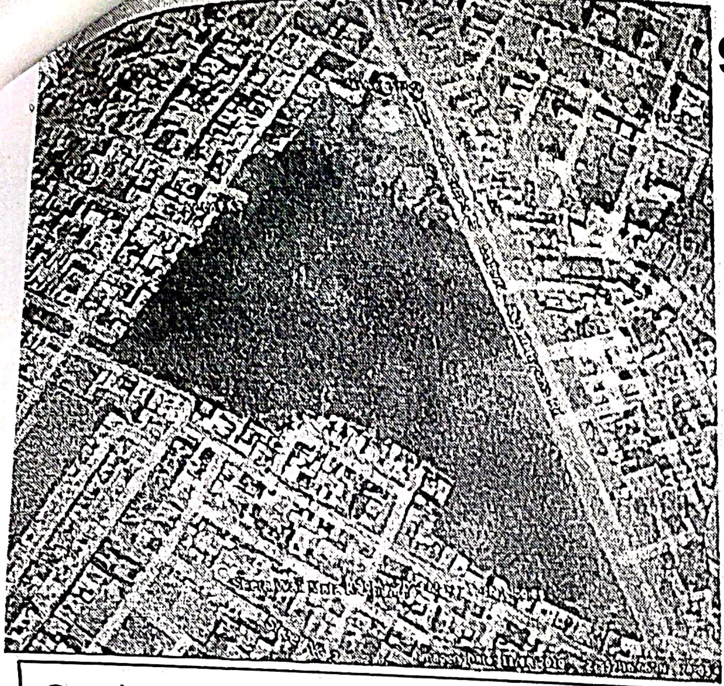

Google Satellite image dated 18.11.2010

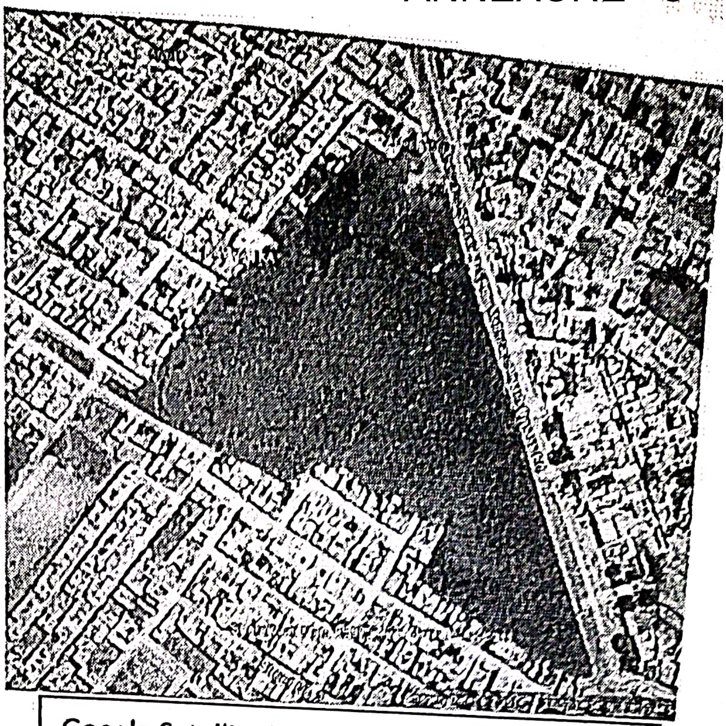

Google Satellite image dated 02.06.2014

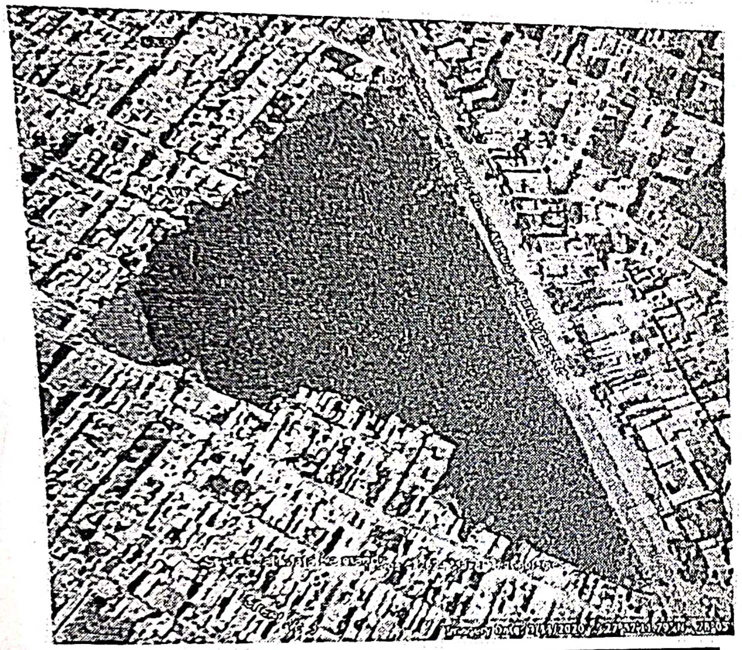

Google Satellite image dated 11.03.2020

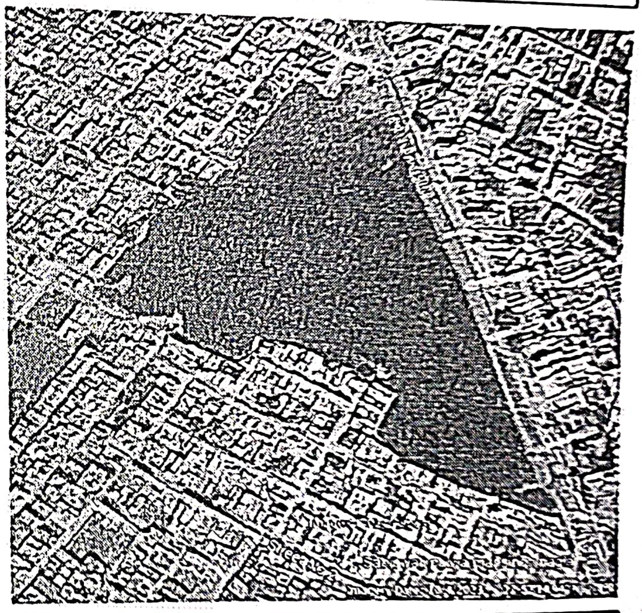

Google Satellite image dated 04.10.2023

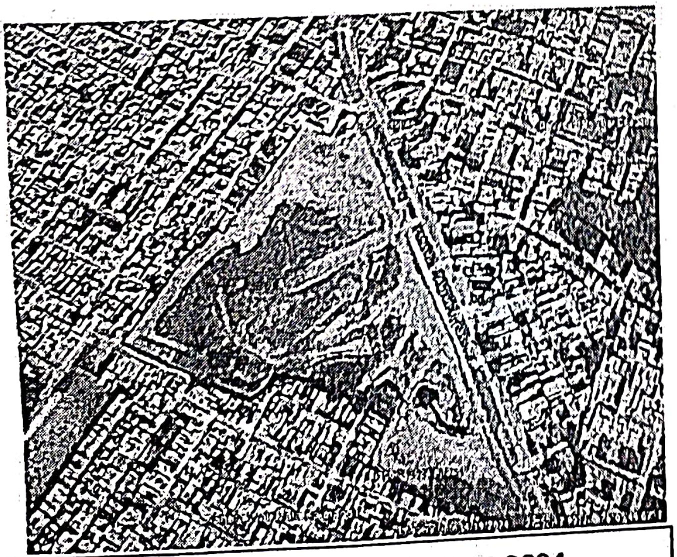

Google Satellite image dated 19.04.2024

Google Satellite image of Lat- 27°52'18.28"N and Long- 78° 5'45.25"E

संलग्नक सं० - 04

ANNEXURE - 4

प्रतिलिपि-9

प्रेषक,

आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल,
अलीगढ़।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

संख्या- 162/मी०ग०

दिनांकः 11 दिसम्बर, 2023

विषयः जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम कूकड़ीखेड़ा उर्फ औरंगाबाद के गाटा संख्या-210, 211, 212, 213 एवं 214 तथा ग्राम धनीपुर के गाटा संख्या-298 में स्थित तालाब का पानी निकासी कर कब्जा किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या- 221/एस0टी0 दिनांक 3 दिसम्बर, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उपर्युक्त विषय पर आख्या उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में आपका ध्यान कार्यालय जिलाधिकारी (स्थानीय निकाय अनुभाग) अलीगढ़ के पत्र संख्या-673/एल0बी0सी0 दिनांक 25 मार्च, 2021 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें तत्कालीन जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा तालाबों एवं पोखरों पर निर्माण कार्य किये जाने पर रोक लगाई थी।

जिलाधिकारी, अलीगढ़ के उक्त पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रिट संख्या- C. No.- 11933 of 2020 Awadhesh Kumar Srivastava vs. State of UP and 2 Others में पारित आदेश दिनांक 05-08-2020 में निजी भूमि पर स्थित पोखर/तालाबों पर से भी अवैध निर्माण हटाये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त, आपका ध्यान उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या- 10607/नियो.अनु./एडीए/2023-24 दिनांक 8 दिसम्बर, 2023 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त भूमि में से गाटा संख्या-212, 213 एवं 214 ग्राम कूकड़ीखेड़ा व गाटा संख्या-298 ग्राम धनीपुर अलीगढ़ महानगर की वर्ष 2001-2021 की महायोजना में नाला/तालाब के उपयोग हेतु आरक्षित है। अलीगढ़ महानगर की वर्ष 2031 की महायोजना में भी इस भूमि का उपयोग नाला/तालाब प्रस्तावित है।

इस प्रकार उक्त भूमि में से पानी की निकासी कर, समतल किया जाना रिट संख्या- C. No.- 11933 of 2020 Awadhesh Kumar Srivastava vs. State of UP and 2 Others में पारित आदेश दिनांक 05-08-2020 एवं अलीगढ़ महानगर की वर्ष 2001-2021 का उल्लंघन है। इस संबंध में आपको उक्त स्थल पर तत्काल कार्य रूकवाने के निर्देश दिये गये थे। किन्तु अभी भी विभिन्न स्त्रोतों से कृपया तदनुसार उक्त स्थल पर किये जा रहे कार्य के जारी होने की सूचनायें प्राप्त हो रही है। यह अवगत कराया गया है कि उक्त स्थल को टिन से घेरकर अन्दर चोरी छुपे कार्य कराया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थल पर तत्काल कार्य रूकवाने एवं स्थल पर लगाये गये टिन कवर को हटवाने सुनिश्चित करे। यदि एतद्पश्चात् स्थल पर कोई कार्य कराया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा रिट संख्या- PIL No. 1474 of 2019: Support

— 2 —

India Welfare Society vs. State of U.P and 7 Others में पारित आदेश दिनांक 16–09–2019 में निर्देशित किया है अपर जिलाधिकारी (वि. / रा.) अलीगढ़, इस बिन्दु को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

(रविन्द्र)
आयुक्त 11/4/2023
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।
3. उपाध्यक्ष, अलीगढ़ विकास प्राधिकरण, अलीगढ़।
4. नगर आयुक्त, अलीगढ़ नगर निगम, अलीगढ़।

(रविन्द्र)
आयुक्त 11/4/2023
अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

Court No. - 3 **102** सलंग्नक-5

ANNEXURE - 5

Case :- WRIT - C No. - 44949 of 2023

Petitioner :- Tikaram Charitable Trust
Respondent :- State Of U.P. And 2 Others
Counsel for Petitioner :- Suresh Chandra Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Vibhanshu Vaibhav

Hon'ble Anjani Kumar Mishra,J.
Hon'ble Jayant Banerji,J.

1. The instructions received by the learned Standing Counsel are taken on record.

2. Heard counsel for the petitioner, learned Standing Counsel and the counsel appearing for respondent no.3-Nagar Nigam, Aligarh.

3. By means of this petition, the petitioner has sought quashing of letter dated 11.12.2023, passed by the Commissioner, Aligarh Division Aligarh addressed to the District Magistrate, Aligarh.

4. The aforesaid letter records that Plot nos. 212, 213, 214 of village Kukari Khera and Plot no. 298 of village Dhanipur in the year 2001-2021 have been reserved for drain and pond under the master plan. It also records that leveling of these plots is illegal and, therefore, the work being undertaken on these plots is liable to be stopped and that appropriate action is liable to be taken against the concerned. The letter also refers to an order passed by the High Court in **PIL No. 1474 of 2019 (Support India Welfare Society Vs. State of U.P. and others)**. Accordingly, the Additional District Magistrate (Finance & Revenue), Aligarh has been directed to take appropriate action in the matter.

5. The contention of the counsel for the petitioner is that the aforesaid four plots belong to the petitioner's Trust and are recorded in the revenue record as Bhumidhari plots. It is also contended on the basis of relevant revenue record, Khasra of 1356F, that these plots were never recorded as pond or land submerged under water at any point of time. This entry has somehow been made in 1417 Fasli for the first time.

6. Learned Standing Counsel admits that no such entry was ever made prior to that in the Khasra 1417F, wherein the land is shown to be land of the Trust, but covered by water.

7. Merely because a plot is covered by water, the same cannot become a pond. All proceedings that have been drawn at the various levels for restoration of ponds primarily find support from the judgement of the Apex Court in **Hinch Lal Tiwari Vs. Kamala Devi and others; reported in (2001) 6 SCC 496**, wherein the Apex Court expressed its view that water bodies existing in 1356F were required to be restored to their original status for ecological reasons. The ratio in **Hinch Lal Tiwari** (supra) does not apply to the instant case because in the revenue record of 1356F, as is admitted by the learned Standing Counsel, there is no entry of a pond. The first entry of the land being found covered by water is in the Khasra of 1417 Fasli.

8. Under the circumstances and since the aforesaid plots in issue are not a pond, the direction that have been issued by the letter impugned are, unsustainable. For the same reason, we consider it appropriate to allow this writ petition and to quash the letter dated 11.12.2023, passed by the Commissioner, Aligarh Division Aligarh.

9. The writ petition stands **allowed**, accordingly.

Order Date :- 29.2.2024
sfa/

संलग्नक -6

कार्यालय नगर निगम अलीगढ़।

पत्रांक सं0 4567 / नि0वि0 / न0नि0अ0 / 23-24 दिनांकः 30.09.23

श्री हरिप्रकाश गुप्ता
पुत्र स्व0 वेदप्रकाश गुप्ता,
निवासी-कोठी विजय निकुंज,
टीकाराम मन्दिर मार्ग, तहसील-कोल,
अलीगढ़।

कृप्या आपके द्वारा प्रेषित शपथपत्र दिनांक 21.07.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नौरंगाबाद छावनी स्थित सलेज फार्म से लगी हुई श्री टीकराम फैमिली चैरिटेविल ट्रस्ट की कूकड़ी खेड़ा उर्फ औरंगाबाद जी0टी0 रोड की भूमि नम्बर 213, 214 आदि का स्तर नीचा होने के कारण सलेज फार्म का पानी भर जाने की समस्या के समाधान हेतु श्री टीकाराम फैमिली चैरिटेविल ट्रस्ट द्वारा सलेज फार्म से गड़राना माईनर तक नाला तथा सम्पवैल निर्माण कराने के सम्बंध में सहमति पत्र दिया गया। ट्रस्टी श्री हरिप्रकाश गुप्ता ने भूमि संख्या 213, 214, 298 आदि पर प्रस्तुत प्रोजेक्ट के अनुसार नाला तथा सम्पवैल निर्माण की सहमति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2009 के द्वारा अनुरोध किया गया है। नाला एवं सम्पवैल निर्माण से ट्रस्ट की भूमि पर जलभराव की समस्या का निराकरण होने के साथ ही साथ क्षेत्रीय जल निकासी की व्यवस्था सुचारू हो जायेगी। नाला एवं सम्पवैल निर्माण पर होने वाला व्यय स्वयं ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा जिसे निर्माण के पश्चात् नगर निगम अलीगढ़ को अनिवार्य रूप से सौंपने हेतु उल्लेख किया है। संलग्न डिजाईन एवं आगणन में दी गई माप के अनुसार स्थल पर कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नाला व सम्पवैल का निर्माण इस प्रकार कराया जायेगा कि संलग्न क्षेत्र की जलनिकासी सुचारू रूप से हो सके, साथ ही नाला निर्माण कराते समय नगर निगम के अभियन्त्रण विभाग को सूचित किया जायेगा ताकि समय-2 पर पर्यवेक्षण किया जा सके।

कृप्या उपरोक्तानुसार सूचित होने व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम अलीगढ़।

पत्रांक व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपिः-1. नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
नगर निगम अलीगढ़।

संलग्नक -06

105

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये ₹.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

72AE 323942

प्रदेश UTTAR PRADESH

समक्ष श्रीमान नगर आयुक्त महोदय नगर निगम अलीगढ।

शपथपत्र मिनजानिब हरिप्रकाश गुप्ता पुत्र स्व० वेदप्रकाश गुप्ता निवासी कोठी विजय निकुंज टीकाराम मंदिर मार्ग तहसील कोल अलीगढ बहैसियत ट्रस्टी टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट अलीगढ।

शपथकर्ता सशपथ निम्नलिखित ब्यान करता है –

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का निवासी है और टीकाराम टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट अलीगढ का ट्रस्टी है।
2. यह कि शपथकर्ता नौरंगाबाद छावनी स्थित सलेज फार्म से लगी हुई श्री टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट की कूकडी खेडा उर्फ औरंगाबाद जी०टी०रोड की भूमि नं०213,214 आदि का स्तर नीचा होने के कारण सलेज फार्म का पानी भर जाने की समस्या के समाधान हेतु श्री टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट द्वारा सलेज फार्म से गडराना माइनर तक नाला तथा सम्पवैल निर्माण कराने कराने के सम्बन्ध में सहमति पत्र दिया गया ट्रस्टी श्री हरिप्रकाश गुप्ता भूमि संख्या 213,214,298 आदि पर प्रस्तुत प्रोजेक्ट के अनुसार नाला तथा सम्पवैल निर्माण की सहमति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2009 के द्वारा अनुरोध किया था लेकिन उक्त मामला विचाराधीन होने के कारण अब न्यायालय इलाहाबाद से स्थानान्तरित होकर अपील संख्या 33 सन 2016 टीकाराम फैमिली चैरिटेबिल ट्रस्ट अलीगढ बनाम नगर निगम अलीगढ में अति०जिला जज कोर्ट संख्या 1 अलीगढ द्वारा दिनांक 09.09.2022 को अपील स्वीकार हुई जिसके सापेक्ष पुनः पूर्व समझौते के अनुसार नाला एवं सम्पवैल निर्माण से ट्रस्ट की भूमि पर जलभराव की समस्या का निराकरण होने के साथ ही साथ क्षेत्रीय जल निकासी की व्यवस्था सुचारू हो जायेगी। नाला एवं सम्पवैल निर्माण पर होने वाला व्यय स्वंय ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा जिसे निर्माण के पश्चात नगर निगम अलीगढ को सौंपने का अनिवार्य होगा।

सत्यापन- शपथपत्र के पैरा 1 लगायत अंत मेरे निजी ज्ञान में सत्य व सही है कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक

शपथकर्ता

Solemnly Affirmed Before Me
By............
Identified By............
Who having been heard the contents
Hereon Admitted the same to be
Correct

R.P. Dixit (Advocate)
NOATRY Tehsil Koil, ALIGARH

NOTARIAL

106

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GL 104827

शपथपत्र

समक्ष – श्रीमान नगर आयुक्त महोदय,

नगर निगम अलीगढ़।

शपथपत्र – मिनजानिब टीकाराम चैरिटेबिल फैमिली ट्रस्ट द्वारा प्रबन्धक न्यासी हरी प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री वेद प्रकाश गुप्ता व पवन गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता निवासीगण कोठी टीकाराम मंदिर मार्ग, अलीगढ़।

शपथकर्तागण शपथपूर्वक निम्न ब्यान करते हैं कि–

1–यह कि शपथकर्तागण उपरोक्त नाम व पते के निवासी हैं।

2–यह कि यह कि शपकर्तागण कमालपुर रोड़ स्थिति खसरा नं0 211 व 214 व 212 व 213 स्थिति मौजा कूकड़ी खेड़ा उर्फ औरंगाबाद, परगना व तहसील कोल, अलीगढ़ व खसरा नं0 298मि0 स्थिति मौजा धनीपुर, परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के मालिक काबिज हैं।

3–यह कि शपथकर्तागण को नगर निगम अलीगढ़ द्वारा प्राप्त जिसकी प्रतिलिपि शपथपत्र के साथ संलग्न है, का एस्टीमेट स्वीकार है।

4–यह कि जल निकासी का समस्त निर्माण कार्य नगर निगम की देखरेख में होगा।

5–यह कि शपथकर्तागण को प्राप्त एस्टीमेट में किसी प्रकार का कोई विरोध अथवा एतराज नहीं है। सहमति प्रगट करते हैं।

सत्यापन–शपथ पत्र के पैरा 1 लगायत अन्त तक दिया गया ब्यान मेरी निजी जानकारी में सत्य व सही हैं कुछ भी छिपाया नहीं है। ईश्वर मेरी मदद करे।

शपथकर्तागण

Solemnly Affirmed before me
By............
Identified By............
Who having been heard the contents
thereon Admitted the ... be
Correct

R.P. Dixit (Advocate)
NOATRY Tehsil Koil. ALIGARH

18/8/2023

संलग्नक - 07

ANNEXURE - 7

108

सलग्नक-03

109

अध्याय 5

मानचित्र (शजरा) और खसरा (क्षेत्रिक पंजी)

[अध्याय 5 के नियम उन्हीं क्षेत्रों में, जहाँ पर 1950 ई० का जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू नहीं है, प्रचलित है]

[1][**55. निरीक्षण दौरे (पर्यटन)**— लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 28 द्वारा निहित मानचित्र और खसरा ठीक रखने के लिए लेखपाल अपने हल्के के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक खेत का प्रतिवर्ष तीन बार निरीक्षण करेगा, उसके दौरे क्रमशः 10 अगस्त, 1 जनवरी और 1 मई को आरम्भ होंगे। पहला, दूसरा और तीसरा क्रमशः 25 सितम्बर, 15 फरवरी और 31 मई तक पूरा किया जायेगा।]

56. संशोधन के लिए मानचित्र की प्रतिलिपि— लेखपाल मानचित्र की उस प्रति पर किसी परिवर्तन का लेख नहीं करेगा, जो उसे पिछली पैमाइश, चकबन्दी या बंटवारे के अवसर पर दी गई हो। वह साधारणतः परिवर्तनों का लेख करने के लिए मानचित्र की इस प्रति की एक अनुरेखित प्रतिलिपि (ट्रेसिंग) बनायेगा, किन्तु जब मानचित्र मुद्रित करा लिया गया हो तो वह इस प्रयोजन के लिए उसकी एक छपी हुई प्रति ले सकता है। परिवर्तनों का लेख करने के लिए मानचित्र का उपयोग प्रतिवर्ष उस समय तक बराबर किया जायेगा, जब तक कि वह अधिक उपयोग या उसमें वहुत अधिक परिवर्तन हो जाने के कारण बेकार न हो जाये। जब मानचित्र बेकार हो जाये तो लेखपाल [2][भूलेख निरीक्षक] की आज्ञा लेकर उससे एक नया मानचित्र तैयार करेगा, जिसमें खेतों की वर्तमान सीमायें दिखाई जायेंगी और जो सीमायें अब न रही हों वे छोड़ दी जायेंगी। नये मानचित्र पर [2][भूलेख निरीक्षक] के उसकी जाँच के सम्बन्ध में हस्ताक्षर हो जाने के बाद लेखपाल पुराना मानचित्र पंजीयक (रजिस्ट्रार) कानूनगो के पास जमा कर देगा।

57. मानचित्र का संशोधन— (1) प्रत्येक निरीक्षण के समय लेखपाल खेतों का क्रमानुसार अपने मानचित्र से मिलान करेगा और उस पर खेतों की सीमाओं के सब परिवर्तनों और अन्य परिवर्तनों को आवश्यक पैमाइश करने के बाद दिखलायेगा। निरीक्षण के समय खेतों के परिवर्तनों को पेन्सिल से वना लिया जाये, किन्तु बाद में उनको लाल स्याही से अवश्य पक्का कर लेना चाहिये। जब कोई खेत दो या अधिक टुकड़ों में बँटा हुआ पाया जाये तो लेखपाल प्रत्येक टुकड़े पर अलग-अलग संख्या डालेगा। वह मूल (असली) संख्या को ऊपर, अर्थात् अंश के स्थान पर और टुकड़े की संख्या को नीचे हर के स्थान पर रखेगा। किन्तु यदि ये टुकड़े एक ही वर्ग के भौमिक अधिकार के अन्तर्गत एक ही व्यक्ति के कृषिक कब्जे में हों तथा एक ही पट्टी या खाता खेवट के हों तो उन पर अलग-अलग संख्यायें डालना आवश्यक नहीं है और इस दशा में उन टुकड़ों को केवल बिन्दुओं की रेखा से दिखा देना चाहिए। यदि भिन्नात्मक संख्याओं वाले (bearing fractional numbers) खेत फिर से इस प्रकार मिल जायें कि मूल खेत अपनी पिछली पैमाइश के समय की दशा में आ जाये तो भिन्नात्मक संख्यायें निकाल दी जायेंगी और खेत की मूल संख्या फिर से डाल दी जायेगी।

(2) यदि किसी ग्राम के मानचित्र को ठीक करने के लिए किसी समय बहुत बड़े परिमाण में पैमाइश करना आवश्यक हो तो लेखपाल [2][भूलेख निरीक्षक] से आवश्यक उपकरणों के उपयोग

---

1. अधिसूचना संख्या 4854/4-94-78, दिनांक 6 अप्रैल, 1989 के द्वारा प्रतिस्थापित
2. अधिसूचना संख्या 4854/4-94-78, दिनांक 6 अप्रैल, 1989 द्वारा शब्द ''पर्यवेक्षक (सुपरवाइज़र) कानूनगो'' के स्थान पर शब्द ''भूलेख निरीक्षक'' प्रतिस्थापित

और अपेक्षित सहायता के लिए प्रार्थना करेगा। ऐसी प्रार्थना उस वर्ष की 31 अक्टूबर से पहले ही की जानी चाहिए, जिसमें ऐसी आवश्यकता उत्पन्न हो जाये। पैमाइश का काम करने में ग्रामों की पैमाइश के लिए नियम और अनुदेशों (हिदायतें) नामक पर्चे में दिए हुए अनुदेशों का अनुसरण आवश्यक परिवर्तनों के साथ किया जाना चाहिए।

अपवाद—यदि कलेक्टर को किसी कछार, महाल की दशा से यह संतोष हो जाये कि उसमें होने वाले वार्षिक परिवर्तनों के परिमाण और प्रकार की दृष्टि से नियमों का ठीक-ठीक पालन करना अत्यन्त कठिन हो तो वह उसके मानचित्रों के वार्षिक संशोधन का कार्य रोक सकता है। ऐसी दशाओं में एक बिल्कुल नया मानचित्र और नया खसरा आठ वर्षों में एक बार अवश्य तैयार किया जाना चाहिए।

58. लेखपाल को पैमाइश का ज्ञान—सब लेखपालों को पैमाइश का ज्ञान बनाए रखना चाहिए। यदि किसी लेखपाल के सम्बन्ध में किसी ऐसे अधिकारी से, जो तहसीलदार के पद से कम का न हो, यह सूचना मिले कि उसके पैमाइश के ज्ञान में कमी है तो उसे ऐसी अनुग्रह अवधि (पीरियड आफ ग्रेस) देने के बाद, जिसे कलेक्टर उपयुक्त समझे, इस विषय की परीक्षा पास करने के लिए आदेश दिया जायेगा।

लेखपालों की अद्यावधिक बातों की जानकारी बनाए रखने हेतु जिला अफसर प्रत्येक सातवें वर्ष उनके लिए पैमाइश में दस दिन की अवधि के पुनरध्ययन पाठ्यक्रम (refresher course) का प्रबन्ध करेंगे। वह पाठ्यक्रम तहसील के मुख्यालय पर [1][भूलेख निरीक्षक] द्वारा तहसीलदार तथा नायब-तहसीलदार की निगरानी में दिया जायेगा।

59. मानचित्र पूरा करने का दिनांक—(1) 30 अप्रैल तक मानचित्र के संशोधन को पूर्ण और परिवर्तनों को मसि (स्याही) से स्थायी कर दिया जायेगा।

(2) ऐसे ग्रामों में, जहाँ खेतों की सीमाओं का रूप और स्थिति बराबर बदलती रहती है, कलेक्टर मानचित्र पर किए गए परिवर्तनों का स्याही से ठीक करना स्थगित कर सकता है।

60. खसरा तैयार करना—(1) खसरा एक क्षेत्रिक पुस्तक है, जिसमें लेखपाल समय-समय पर सीमाओं के सब परिवर्तनों और ऐसी सब बातों को, जिनकी आवश्यकता खतौनी या कृषीय आँकड़े तैयार करने के लिए होती हैं, उल्लेख करेगा। यह नीचे दिए आकार-पत्र संख्या प-3 में तैयार किया जायेगा।

(2) स्तम्भ 1 से 3 तक पहली बार निरीक्षण के लिए जाने से पहले भरे जायेंगे। काश्तकारों और शिकमी काश्तकारों के नाम और खरीफ की फसलों के सम्बन्ध में इन्दराज पहले दौरे के समय किए जायेंगे। रबी और जायद फसलों के सम्बन्ध में प्रविष्टियाँ क्रमशः दूसरे और तीसरे दौरे के समय की जायेगी। काश्तकारों के अधिकारों और दायित्वों (अर्थात् भौमिक-अधिकार का प्रकार, पट्टे और लगान), के सम्बन्ध में प्रविष्टिक पहले दौरे के समाप्त होने से पहले किए जायेंगे या रबी के मौसम (फसलों) के लिए उठाई हुई भूमियों के सम्बन्ध में पहले निरीक्षण के समाप्त होने के बाद जितनी शीघ्र सम्भव हो सके, किए जायेंगे। अन्य सब प्रविष्टियाँ वर्ष में जितनी शीघ्र हो सकेगी, की जायेंगी।

---

1. अधिसूचना संख्या 4854/4-9+-78, दिनांक 6 अप्रैल, 1989 द्वारा शब्द ''पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) कानूनगो'' के स्थान पर

152 और 153. *[निकाल दिया गया]*।

154. लगान में छूट और उसका स्थगन— जब किसी जमींदार ने लगान में छूट दी हो तो छूट की धनराशि, सम्बद्ध खतौनी खाते के सामने लाल स्याही से विशेष विवरण के स्तम्भ में लिखी जायेगी और महाल के कुल छूटों का जोड़ खातों, मालगुजारी और लगान के विवरण में एक पाद-टिप्पणी के रूप में लिखा जायेगा। राज्य सरकार की आज्ञा के अनुसार स्थगित की गई लगान की धनराशि भी उसके स्थगन की अवधि के साथ विशेष विवरण के स्तम्भ में लिखी जायेगी।

155 से 158. *[निकाल दिया गया]*।

159. निस्तारण की रीति—खतौनी बन्द हो जाने के बाद एक वर्ष तक लेखपाल के पास रहेगी और इसके बाद अधिक-से-अधिक 31 जुलाई तक वह पंजीयक (रजिस्ट्रार) कानूनगो के पास दाखिल कर दी जायेगी। पंजीयक कानूनगो के पास खतौनी प्रस्तुत करने के पूर्व लेखपाल उन सभी खातों के सामने खतौनी के स्तम्भ 8 को काट देगा जहाँ वह खाली रहे हों।

160. अशुद्धि -पत्र— ज्योंही खतौनी तैयार हो जाये, लेखपाल एक नियत प्रपत्र में तत्संबंधी अशुद्धि-सूची (errata list) तैयार करेगा। खतौनी में किया गया प्रत्येक संशोधन (correction) और परिवर्तन (alteration) और उसका प्रत्येक संदिग्ध इन्दराज इस नियत प्रपत्र (प्रपत्र प-12) में अवश्य दिखाया जाना चाहिये और उस पर लेखपाल को अवश्य हस्ताक्षर करना चाहिये। ज्योंही किसी अशुद्धि-सूची पर [1][भूलेख निरीक्षक] के प्रतिहस्ताक्षर हो जायें, जो 15 जुलाई के पूर्व ही हो जाना चाहिये, लेखपाल उसे [1][भूलेख निरीक्षक] को सौंप देगा।

अध्याय क-8

खतौनी और अशुद्धि-पत्र

[उन क्षेत्रों के लिए, जिनमें 1950 ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू है]

[2][**क-121. परिभाषा**— खतौनी लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा 32 के अनुसार, जैसा कि उसका संशोधन उ० प्र० जमींदारी विनाश तथा उत्तर प्रदेश भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 द्वारा हुआ है, उन व्यक्तियों की एक पंजी है, जो किसी ग्राम की भूमि पर खेती करते हों या अन्य प्रकार से काबिज (अध्यासीन) हों। इसका अभिलेख नीचे दिये हुए प्रपत्र में, षटवार्षिक तैयार किया जायेगा।

प्रपत्र पक-11

षटवार्षिक खतौनी

खाता खतौनी की क्रम-संख्या	*खातेदार का नाम, पिता का नाम और निवास-स्थान*	*भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष*
1	2	3

1. उ० प्र० भूलेख (संशोधन) नियमावली, 1988 द्वारा शब्द "पर्यवेक्षक कानूनगो" के स्थान पर शब्द "बूलेख निरीक्षक" प्रतिस्थापित
2. ... 1989 द्वारा परिच्छेद क-121 प्रतिस्थापित किया गया

प्रत्येक खाते के गाटे का खसरा नम्बर	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल बन्दोबस्ती बीघों या एकड़ों में	खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व या लगान
4	5	6

परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश, आज्ञा की संख्या व दिनांक और आज्ञा घोषित करने वाले अधिकारी का पद जो पंजीयक कानूनगो द्वारा या विवाद रहित उत्तराधिकार या ग्राम सभा भूमि के पट्टों की दशा में भूलेख निरीक्षक द्वारा प्रमाणित हो।						विवरण विशेष
फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	फसली	
7	8	9	10	11	12	13

टिप्पणियाँ

खतौनी केवल एक साक्ष्य है—जब किसी खाते के खातेदारों के बीच हिस्से का विवाद उत्पन्न होता है, तो उसे नियमत: विनिश्चित किया जाना चाहिए। खतौनी मात्र एक साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। यदि किसी खाते का लगान खातेदारों के द्वारा कम या ज्यादा हिस्से में अदा किया गया है तो उसे नियमत: वसूला जा सकता है। लेकिन लगान के अदायगी के आधार पर हिस्से का निर्धारण नहीं किया जा सकता है [*अमर सिंह* ब० *डी० डी० सी०*, 1996 आर० आर० 57]।

चालू वार्षिक रजिस्टर—खतौनी ही वार्षिक रजिस्टर है। उ० प्र० भूमि लेख नियमावली के परिच्छेद क-121 में खतौनी की परिभाषा दी गयी है। इस परिभाषा के अनुसार खतौनी उन व्यक्तियों की पंजी है, जो किसी ग्राम की भूमि पर खेती करते हों या अन्य प्रकार से काबिज हों। यह आकार-पत्र पक-11 में षटवार्षिक तैयार की जाती है। आधार वर्ष खतौनी वह खतौनी है जो धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के समय चालू हो। वार्षिक रजिस्टर में खसरा नहीं आता है [*शब्बीर हुसैन खान* ब० *कपिलदेव*, 1956 आर० डी० 146; *कामजर्स सिंह* ब० *रामहर सिंह*, 14 आर० डी० 28]।

वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) का साक्षिक मान—उ० प्र० भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 44 में विधान किया गया है कि वार्षिक पंजिका में सभी इन्दराजों के संबंध में, जब तक कि विपरीत सिद्ध न हो जाये, सत्यता की प्रकल्पना की जायेगी। आधार वर्ष की खतौनी में दर्ज इंदराज को गलत साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है, जो इसे गलत साबित करना चाहता है [*बलजोर* ब० *उप-संचालक चकबन्दी*, 1981 (2) आर० डी० 389 (हिन्दी)]।

ब्रिज जीवन लाल ब० *दिनेश दत्त*, [1988 आर० डी० 444 : 1989 आर० जे० 185] के वाद में यह मान्य किया गया कि अधिकार अभिलेखों में चिरागत प्रविष्टि को सही होने की धारणा की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो राजस्व कागजात और उसमें की गयी प्रविष्टियाँ उद्देश्य रहित हो जायेंगी।